पत्रांक 958 आयु0क0उत्तरा0 / विधि–अनुभाग / वाणिज्य कर / देहरादून / 2008–09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून 20 जून– '08

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा अपने प्रत्यावेदन में दिन–प्रतिदिन आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं :–

1– ऐसे विविध प्रार्थना पत्र, जिन पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश करते हुए कार्यवाही की जानी है जैसे पंजीयन संशोधन प्रार्थनापत्र, के लिए प्राप्ति एवं प्रेषण लिपिक एक रजिस्टर रखेंगे तथा प्रार्थनापत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त, उनका इन्द्राज रजिस्टर में किया जाएगा। सम्बन्धित खातापालक / मुख्य सहा0 / प्रवर सहा0 / आशुलिपिक द्वारा प्रार्थनापत्र प्राप्त करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट सहित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कर निर्धारण अधिकारी यथानुसार प्रार्थनापत्र पर आदेश करेंगे। प्रार्थनापत्रों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार समय सीमा निर्धारित की जाती है।

1– प्रार्थना पत्र धारा–22 / 30(व्या0क0अधि0) – प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर

2– प्रार्थना पत्र धारा–30 / 31(वैट अधि0) – प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर

3– प्रार्थना पत्र–35 (वैट अधिनियम) – प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर

4– पंजीयन संशोधन के प्रार्थना पत्र – प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर

5– पंजीयन प्रार्थना पत्र – प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर

6– विभिन्न विभागीय फार्मों हेतु प्रार्थना पत्र – अपरान्ह 2 बजे तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों का उसी दिन व शेष का अगले कार्य दिवस पर 12 बजे तक

7– अन्य विभिन्न प्रार्थना पत्र – अगले दिन तक अथवा जैसी भी स्थिति हो।

2— विभागीय फार्मों के लिए 2 बजे तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उसी दिन कर दिया जाए। जो प्रार्थना पत्र 2 बजे के बाद प्राप्त होते हैं, उनका निस्तारण अगले कार्यदिवस में 12 बजे तक कर दिया जाए। यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारणों से कार्यालय में उपस्थित नहीं है, तो इसकी जानकारी लिंक अधिकारी को होनी चाहिए तथा आदेश लिंक अधिकारी द्वारा किये जाएंगे।

कौन किसका लिंक अधिकारी होगा इस सम्बन्ध में आदेश ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर द्वारा किये जाएंगे।

3— डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)/खण्डाधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली डाक का पृष्ठांकन उसी दिन या अधिक से अधिक अगले कार्यदिवस पर 12 बजे तक अवश्य कर दिया जाए।

4— धारा—35 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों को क्रमानुसार एक पंजी में दर्ज करने के उपरान्त इन का निस्तारण निर्धारित समयावधि में अवश्य कर दिया जाए। यदि पूर्व के कुछ प्रार्थना पत्र अनिस्तारित हैं, तो उन्हे एक अभियान के रूप में दिनांक 15—07—2008 तक निस्तारित कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्डाधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) का पूर्ण दायित्व होगा कि शेष प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 15—07—2008 तक हो जाए।

5— व्यापारियों द्वारा विभागीय प्रपत्र रदद् करने हेतु कार्यालय में प्राप्त कराएं जाते है। इन प्रपत्रों का इन्द्राज पत्रावली पर नही होता है जिस कारण से वाद के निस्तारण, विशेष रूप से एकपक्षीय कर निर्धारण के समय यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि व्यापारी द्वारा कितने फार्म रदद् कराये गए है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)/खण्ड कार्यालय में निम्न प्रकार से एक मोहर रहेगी :—

क्रम सं0..... से क्रम सं0..... तक कुल.....प्रपत्र ..... रदद् किये गए।

(डिप्टी कमि0/असि0कमि0)

मुख्य सहायक द्वारा रदद् किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गए प्रपत्रों का इन्द्राज वैट नियम में निर्धारित प्रारूप —XV के साथ—साथ सम्बन्धित व्यापारी की पत्रावली के आदेश फलक पर मोहर लगाकर किया जाए एवं मोहर के नीचे डिप्टी कमि0(क0नि0)/ खण्डाधिकारी के हस्ताक्षर कराएं जाएंगे।

6— कर निर्धारण वर्ष 2005—06 (01—10—2005 से 31—03—2006 तक) के लिए उन व्यापारियों जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल की गई है एवं विवरणी में त्रुटि पाई गई है, को त्रुटि ठीक कराने हेतु नोटिस भेजे गए है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि यह ध्यान रखा जाए नोटिस सही तथ्यों के आधार पर भेजा जाए। गलत तथ्यों के आधार पर नोटिस भेजकर व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिये।

इस वर्ष व्यापारी के व्यापार कर अधिनियम व वैट अधिनियम दोनों में अलग—अलग कर निर्धारण आदेश पारित होने है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाए कि व्यापारी को नियमित कर निर्धारण के लिए सुनवाई हेतु दोनों छमाही के लिए दोनो नोटिस एक साथ व एक ही दिन के लिए भेजे जाएं तथा सुनवाई भी एक साथ की जाए ताकि व्यापारी को बार—बार अभिलेख कार्यालय लाने की आवश्यकता न पड़े।

7— इस प्रकार की समस्या अक्सर रखी जाती है कि कर निर्धारण पत्रावलियों पर आयात घोषणा पत्र/फार्म—16 की मूल प्रतियां उपलब्ध नहीं होती हैं एवं वाद की सुनवाई के समय व्यापारी से फार्मों की द्वितीय प्रति लेकर पत्रावली पर रख दी जाती है। यह स्थिति उचित नही है। चूंकि जांच चौकी से पास हुए समस्त आयात घोषणा पत्र/फार्म—16 डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)/खण्ड कार्यालयों को उपलब्ध करा दिये जाते हैं इसलिए मूल प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिये। अतः कर निर्धारण सुनवाई के समय कार्यालय के मूल प्रतियों से सूचियों का सत्यापन/मिलान किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसी स्थिति में जब कार्यालय में उपलब्ध किसी व्यापारी की मूल प्रतियों में से कोई मूल प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रही है या किसी खरीद के सम्बन्ध में सत्यापन द्वितीय प्रति से अत्यन्त आवश्यक है, ऐसी दशा में व्यापारी से द्वितीय प्रति की मांग की जा सकती है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(एल0एम0 पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून

958

पृ0प0सं0 दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3— अध्यक्ष/सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4— एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन/उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी ।
11— श्री सी0एस0बनर्जी, वाणिज्य कर अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
12— नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
13— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
14— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
15— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
16— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

20/6/2008

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।